-प्रेस नोट-

दिनांकः 10.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 चाकू नाजायज बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.05.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चैकिग / गस्त के दौरान 01 अभियुक्त **सुमित पुत्र संजीव उर्फ आशू निवासी वर्धमान कालोनी चिलकाना रोड थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को ग्राम देवला सरकडी खुमार रास्ते से सकलापुरी रोड की तरफ निर्माणाधीन हाईवे के पास से गिरफ्तार किया गया ।जिसके कब्जे से 01 चाकू नाजायज बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 153/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि पुलिस ने जो चाकू मुझसे बरामद किया है उसे मैं आस पास के लोगो को डराने व धमकाने के लिये अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सुमित पुत्र संजीव उर्फ आशू निवासी वर्धमान कालोनी चिलकाना रोड थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 चाकू नाजायज

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 323/2024 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना जनकपुरी सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 59/2023 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 153/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री भीमप्रकाश थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
2. है0का0 526 सनोवर ताज कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
3. है0का0 207 दिनेश कुमार कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 10.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा निवेश की रकम को दोगुना करने के नाम पर लोगो से धोखाधड़ी कर रुपये हड़पने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार , कबजे से 04 फर्जी आधार कार्ड बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 08.05.2025 को वादी विक्रम सिंह पुत्र सोहन निवासी मौ0 छत्ता कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर कि लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त बबूल शर्मा पुत्र विनोद शर्मा निवासी ग्राम बीनपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर द्वारा अपने साथियो के साथ मिलकर वादी के साथ धोखाधड़ी कर 30 लाख रुपये अपने खातो में डलवा लेना तथा वापस करने से मना करना एंव गाली गलौच करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे थाना गंगोह पर मु0अ0सं0-153/25 धारा 420/406/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर मकुदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **बबलू शर्मा पुत्र विनोद शर्मा निवासी ग्राम बीनपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को यूनिवर्सिटी तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से फर्जी आधार कार्ड व 01 कार बरामद हुई। बरामद कार को धारा 207 एम0वी0 एक्ट में सीज किया गया। विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 467/468/471 भादवि की वृद्धि की गयी।गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं बी0ए0 तक पढा लिखा हूँ व बैंक में पूर्व में लोन पास कराने का कार्य करता था। मैंने आस पास के क्षेत्रों के लोगो को अपने झांसे में लेकर उनके द्वारा निवेश के लिये दी गयी रकम को दोगुना करने के नाम पर रुपये लेता था और बदले में उन्हें 01 रशीद व अपना फर्जी आधार कार्ड दे देता था जिससे वो मेरे झाँसे में आसानी से आ जाते थे। मैंने विक्रम सिंह से निवेश के नाम पर 30 लाख रुपये लिये थे जिसमें से कुछ मैंने अपने खाते में व कुछ अन्य लोगो के खाते में डलवाये गये थे।

बरामदगी का विवरण-

- 04 फर्जी आधार कार्ड जिसमें अभियुक्त बबलू शर्मा द्वारा आधार कार्ड नम्बर/पते/जन्मतिथि भिन्न भिन्न अंकित गये है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

बबलू शर्मा पुत्र विनोद शर्मा निवासी ग्राम बीनपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर उम्र करीब 33 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त बबलू का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0-321/2016 धारा-147, 148, 149, 307, 323, 324, 504 भा.द.वि थाना गंगोह सहारनपुर
2. मु0अ0सं0-177/2024 धारा-420,406,376 भा.द.वि थाना गंगोह सहारनपुर
3. मु0अ0सं0-131/2024 धारा-323, 452, 307, 392, 504, 506 भा.द.वि थाना गंगोह सहारनपुर
4. मु0अ0सं0- 153/25 धारा 420/467/468/471/406/504/506 भा.द.वि थाना गंगोह सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री नीरज कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. है0कां0 362 श्री अमित थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. है0कां0 258 श्री अजित मलिक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर